झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–245 वर्ष 2017

बंशी घांसी, पे0 स्वर्गीय सुखलाल घांसी, निवासी–जरवा बस्ती, डाकघर एवं थाना–बोकारो थर्मल, जिला–बोकारो

2. सीता राम महतो, पे0 स्वर्गीय देव नारायण महतो, निवासी–जरवा बस्ती, डाकघर एवं थाना–बोकारो थर्मल, जिला–बोकारो .... याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

1. दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रबंध निदेशक–सह–अध्यक्ष, डी0वी0सी0 टॉवर, वी0आई0पी0 रोड, डाकघर एवं थाना–अल्टाडांगा, जिला–कोलकाता (प0 बंगाल)
2. निदेशक, एच0आर0डी0, डी0वी0सी0, डी0वी0सी0 टॉवर, वी0आई0पी0 रोड, डाकघर एवं थाना–अल्टाडांगा, जिला–कोलकाता (प0 बंगाल)
3. अपर निदेशक कार्मिक, डी0वी0सी0, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा, डाकघर एवं थाना–सी0टी0पी0एस0, बोकारो
4. वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक, डी0वी0सी0, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए :– कोई नहीं

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री तपश कविराज, अधिवक्ता

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

05/15.01.2019 दूसरे दौर में भी याचिकाकर्त्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

यह रिट याचिका याचिकाकर्त्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए दायर किया, क्योंकि याचिकाकर्त्ताओं के पिता, जो समूह–डी कर्मचारी थे, की मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी।

अभिलेख के परिशीलन के पश्चात्, मैं पाता हूँ कि सुखलाल घांसी–याचिकाकर्त्ता संख्या 1 के पिता, जो सिविल डिवीजन, डी0वी0सी0, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो में आपूर्ति मजदूर थे, की मृत्यु 8.12.1997 को हुई, जबकि देव नारायण महतो–याचिकाकर्त्ता संख्या 2 के पिता, जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन, डी0वी0सी0, चंद्रपुरा, बोकारो में कार्यरत थे, की मृत्यु 14.12.1997 को हो गई। याचिकाकर्त्ताओं ने वैध उत्तराधिकारी होने के नाते अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया है।

यह याचिकाकर्त्ताओं का मामला है जो रोजगार प्रदान करने के बदले में उन्हें दिनांक 22.7.2008 की डी0वी0सी0 की योजना के अनुसार पांच लाख रूपये की पेशकश की गई है।

डी0वी0सी0 के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ताओं के पिता की मृत्यु वर्ष 1997 में हुई थी और 21 साल बाद, उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

यह एक स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्त्ता संख्या 1 और 2 के पिता की मृत्यु वर्ष 1997 में हुई थी। इक्कीस साल बीत चुके हैं, मृतकों का परिवार लंबे समय से 21 साल तक किसी तरह जीवन यापन किया, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति देने का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया है।

चूंकि दोनों मृतकों का परिवार 21 साल से अधिकसमय से किसी तरह से जीवन यापन किया है, इसलिए मुझे याचिकाकर्त्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करने का कोई आधार नहीं मिला है।

इस याचिका को तद्नुसार खारिज कर दिया जाता है।

(श्री आनंदा सेन, न्याया0)